

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत बन्ध-पत्र

उ०प्र० पुलिस / यातायात पुलिस

क्रमांक 917

रसीद क्रमांक 45832

का रजिस्ट्रेशन नं०

HR-55AA
0601

स्वामी का नाम

मोहनपाल

पुत्र

सुभाषिणी

घन करने का स्थान

दीनदयाल पुर्मागली ग. 11 नन्दपुरा बाजार विधानी गिर गांववाड़

क

समय

8/1/78

19-20

की किस्म

का

परमिट नं०

ट की वैधता

ड्राइविंग लाइसेन्स नं०

वैधता

(अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने बन्ध-पत्र)

मोहनपाल

पुत्र

सुभाषिणी

पता

दीनदयाल पुर्मागली ग. 11

थाना

जिला

का निवासी है। इस लेख द्वारा

देता/देती हूँ कि आगामी दिनांक

8/1/78

समय 10 बजे प्रातः को

ACJ/178/100V के

अभियोग में उपस्थित होकर वहाँ अपने उपर लगाये हुए मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग बन्ध में उत्तर देने के लिए उपस्थित रहूँगा / रहूँगी और उपस्थित न होने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित जुर्माने के लिए उत्तरदायी हूँगा/हूँगी।

चालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किये जाने का विवरण निम्नवत है।

अपराध का विवरण

धारा

① गाड़ी के चालक द्वारा बंदिश स्थान पर रोकथाम गाड़ी रोकने का। 177/1988VAC

② चालक द्वारा गाड़ी के कागजात गाने पर न दिखाना 807/1988VAC

③ गाड़ी की आगली तथा पीछली कक्का लगे हुए/होने के कारण पकने के बंधी आ (हाइ) 161/177/1988VAC

कर्ता अधिकारी द्वारा बन्ध-पत्र के

प्राप्त किये गये कागजात का विवरण

रजिस्ट्रेशन (4) परमिट

10एल0 (5) कोई नहीं

बीमा

चालानकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम

थाना

जनपद

बन्ध-पत्र/विवरण की प्रति प्राप्त की

हस्ताक्षर चालक

420501785